<u>खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम ललित शर्मा एवं अन्य</u>

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारी: जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी:- श्री भानु प्रताप सिंह महलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें जयपुर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण:-

1- Sh. Lalit Sharma S/o Sh. Nirmal kumar Sharma FBO and Partner M/S Divine Chemfood, Khasra No. 107, 710/107, Post Govindi Marwar, Thesil Navacity, Nagour- 341509
निवासी– वार्ड नं. 7, गौरव चौक, रघुनाथ जी की बगीची, नावांसिटी, नागौर
स्थाई निवासी– 20, शांति नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, वार्ड नं. 14, जयपुर

2- Sh. Ashok kumar Chotia Partner, M/S Divine Chemfood, Khasra No. 107, 710/107, Post Govindi Marwar, Thesil Navacity, Nagour- 341509
निवासी– 27, संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास, वार्ड न. 27 सुजानगढ़, चुरू–331507

3- Sh. Saroj Kumar Chhabra, Partner, M/S Divine Chemfood, Khasra No. 107, 710/107, Post Govindi Marwar, Thesil Navacity, Nagour- 341509
निवासी– प्रतापमल छाबड़ा, गांधी बालिका स्कूल के पास, नयाबास, सुजानगढ़, चुरू।

4- Sh. Mahabir Prasad Kachwal, Partner, M/S Divine Chemfood, Khasra No. 107, 710/107, Post Govindi Marwar, Thesil Navacity, Nagour- 341509
निवासी– 155, बेदावतों की बाड़ी की गली, वार्ड न. 10, सुजानगढ़, चुरू।

5- Sh. Dilip Agarwal, Partner, M/S Divine Chemfood, Khasra No. 107, 710/107, Post Govindi Marwar, Thesil Navacity, Nagour- 341509
निवासी– जी 3, नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर– 302021

6- M/S Divine Chemfood, Khasra No. 107, 710/107, Post Govindi Marwar, Thesil Navacity, Nagour- 341509

प्रकरण संख्या :–12/2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कुचामन सिटी

" अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx), धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 "

उपस्थित:–
1. अभियुक्तगण संख्या 01 एंव 05

–:निर्णय :–

दिनांक :– 15.05.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एंव स्वा. सेवायें जयपुर, राजस्थान ने यह आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.09.2016 को समय 12:30 पी. एम. पर फर्म मैसर्स M/S Divine Chemfood, Khasra No. 107, 710/107, Post Govindi Marwar, Thesil Navacity पर पॅहुचा। वहां पर उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री ललित शर्मा पुत्र श्री निर्मल कुमार शर्मा खाद्यकरोबारकर्ता एंव भागीदार होना बताया।

(2) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता भागीदार की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ Iodised Salt (Loose) के लगभग 500 कट्टे (प्रत्येक में 50 कि.ग्रा) रखे थे, के अमानक का शक होने पर एक कट्टे को खोलकर 800 ग्राम खाद्य पदार्थ खाद्यकारोबारकर्ता भागीदार श्री ललित शर्मा को सूचित करते हुए वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत श्री ललित शर्मा को 2/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता भागीदार एंव गवाहान के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(3) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर प्रपत्र 5ए की प्रतिया तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एंव भागीदार को पढकर, सुनाकर एंव समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर ललित शर्मा एंव गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता एंव भागीदार को बता दिया था कि यह Iodised [illegible] एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की [illegible] न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जि. म. कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

(4) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Iodised Salt (Loose) 800 ग्राम को 4 साफ–सूखी चौड़े मुंह के प्लास्टिक जार दिखाकर उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चारों सूखे एवं खाली जारों में डाला एंव प्रत्येक जार में 40–40 बुन्द फार्मलिन की बतौर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारों जारो को ढक्कन से एगर टाईट बन्द किया। उन पर विक्रेता एंव गवाहान की उपस्थिति मे लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डीओ जयपुर का कोड व क्रमांक EE-980 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एंव भागीदार तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं.– EE- 980 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागों से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता भागीदार के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाब्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एंव भागीदार तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एंव समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री ललित शर्मा एंव गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(5) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डी.ओ. एंव सयुक्त निदेशक (ग्रा. स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को [illegible] (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर [illegible]मांक 431 दिनांक 18.11. 2016 को जांच रिपोर्ट संख्या LS/2921/Act/2016/ [illegible] दिनांक 20.10.2016 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता भागीद[illegible] किया गया खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

पदार्थ Iodised Salt (Loose) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होने की जानकारी प्राप्त हुई। जॉच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(7) अभिहित अधिकारी एंव सयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(8) अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ Iodised Salt (Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः प्रकरण में अभियुक्तगण को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जावें।

(9) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण की सुनवाई तिथि 09.04.2018 को अभियुक्त संख्या 01 श्री ललित शर्मा (खाद्यकारोबारकर्ता एंव भागीदार) की ओर से श्री ओमप्रकाश ने अपना जवाव पेश कर बताया कि Iodised Salt (Loose) में Nacl की मात्रा नियमानुसार कम होने से खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। हमें खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के नियमों की जानकारी नहीं थी। आगे से हम उक्त नियमों के अनुसार ही काम करेंगे। अभियुक्त संख्या 05 श्री दिपील अग्रवाल की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री मदनलाल शर्मा ने जवाव पेश कर बताया कि खाद्य पदार्थ सवस्टेण्डर्ड होने की जानकारी नहीं थी। हमने अपनी भागीदारी फर्म M/S Divine Chemfood का अन्य को बैचान कर दी है। प्रतिनिधि श्री मदनलाल शर्मा ने अभियुक्त संख्या 04 श्री महावीर प्रसाद काछवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त संख्या 3 श्री सरोज कुमार छाबड़ा की ओर से अधिवक्ता केशव ओझा एंव कमल मोठ एंव अभियुक्त संख्या 2 श्री अशोक कुमार चोटिया की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] कौशिक ने वकालतनामा पेश किया। पर्याप्त समय देने के बाद भी ना [illegible] जवाब पेश किया और ना ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। अतः अभियुक्त संख्या 2 एवं 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

(10) प्रकरण में सुनी गई प्रस्तुत जवाब तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर के FORM B रिपोर्ट नं. LS/2921/Act/2016/593 दिनांक 20.10.2016 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion-The sample of Iodised Salt (Loose) bearing Code no. and Sr. no. EE - 980 of Designated officer cum The Joint Director (RH), Medical and Health Services Rajasthan, Jaipur is Substandard Food Under Section 3(1)(zx) of FSS Act, 2006

अतः उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एंव धारा 3(1)(zx) का उल्लघन है, जिसका जुर्माना इसी अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है। धारा 26 की उपधारा 2(ii), धारा 3(1)(zx) एंव 51 इस प्रकार हैः–

धारा 26ः– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा – 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zx) ''अवमानक'' से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:00 IST
Reason: SelfAttested

(11) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों [illegible] शाला जयपुर, राजस्थान से खाद्य पदार्थ Iodised Salt (Loose) की जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एंव भागीदार ललित शर्मा [illegible] जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमूना ईई–980 अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) पाया गया है। जो की खाद्य सुरक्षा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव भागीदार फर्म–मैसर्स M/S Divine Chemfood, Khasra No. 107, 710/107, Post Govindi Marwar, Thesil Navacity दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत खाद्यकारोबारकर्ता एंव भागीदार फर्मः– मैसर्स M/S Divine Chemfood, Khasra No. 107, 710/107, Post Govindi Marwar, Thesil Navacity अभियुक्त संख्या 01 ललित शर्मा, अभियुक्त संख्या 2 अशोक कुमार चौटिया, अभियुक्त संख्या 3 सरोज कुमार छाबड़ा एंव अभियुक्त संख्या 5 श्री दिलीप अग्रवाल प्रत्येक पर राशि रुपये 2,500–2,500/– कुल राशि रूपये 10,000/–(अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का अधिकार क्षेत्र होने से इनको भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(12) आदेश दिनांक 15.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कुचामनसिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:00 IST
Reason: SelfAttested